

1123

कार्यालय, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमनपदाधिकारी, बिहार, पटना।

पत्रांक / ऑडिट 4644 / I.D-II-F.O-2022(Part-XVI)

दिनांक 23.06.2025



☎ 0612-2222020

✉ sfocumdirector-bih@gov.in

सेवा में,

**Gyan Bharti Public School,
Laxmisagar, Darbhanga.**

(e-mail id-gbpslaxmisagar@gmail.com)

Mob No-7462041391

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक 15.04.2025 को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, लहेरियासराय द्वारा दिनांक 18.04.2025 को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं।

अतः उक्त संस्थान का वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की होगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त संस्थान के प्रमाण पत्र की वैध तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विशाल शर्मा)

अपर निदेशक-सह-

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 01.जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02.अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(विशाल शर्मा) 106

अपर निदेशक-सह-

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

Sachin

